## <u>न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश</u> (समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)

## <u>व्यवहार वाद क. 62ए / 2015</u> संस्थापित दिनांक 15.06.2015

TIN O

- 1 रामबाबू पुत्र भोगीराम उम्र 45 वर्ष
- 2. मेघसिंह पुत्र भोगीराम उम 43 वर्ष
- 3. भारतसिह पुत्र भोगीराम उम 40 वर्ष
- 4. नंदिकशोर पुत्र भोगीराम उम 38 वर्ष
- 5. नवलसिंह पुत्र भोगीराम उम 36 वर्ष
- उदयसिंह पुत्र मातादीन उम्र 50 वर्ष

समस्त निवासीगण- ग्राम पढ़राई का पुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

### <u>.....</u> वादीगण

#### बनाम

- प्रेमसिंह पुत्र बिरखे उम्र 35 वर्ष
- 2. रामनारायण पुत्र बिरखे उम्र 30 वर्ष
- 3. चेतराम पुत्र बिरखे उम्र 32 वर्ष
- रामदास पुत्र सीताराम उम्र 65 वर्ष
- 5. जगमोहन पुत्र रामदास उम्र 35 वर्ष
- कमलेश पुत्र रामदास उम्र 28 वर्ष
- 7. अतरसिंह पुत्र भोदूं उम्र 50 वर्ष
- 8. मानसिंह पुत्र भोदूं उम्र 48 वर्ष
- 9. रामनरेश पुत्र भोदूं उम्र 45 वर्ष
- 10. भागीरथ पुत्र फूलसिंह उम्र 40 वर्ष
- 11. पातीराम पुत्र वेदरी उम्र 42 वर्ष
- 12. लक्ष्मण सिंह पुत्र वेदरी उम्र 38 वर्ष
- 13. बलवीर पुत्र वेदरी उम्र 35 वर्ष
- 14. कलियान सिंह पुत्र वेदरी उम्र 50 वर्ष
- 15. रामदाती पुत्र भीकाराम आयु 60 वर्ष
- 16. गरसिंह पुत्र नामालुम उम्र 70 वर्ष

समस्त निवासीगण- पड़राई का पुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड

17. म0प्र0 शासन द्वारा— कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड

... प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा — अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम प्रतिवादी क० ०१ लगायत १४ द्वारा— अधिवक्ता श्री दाताराम बंसल प्रतिवादी क० १५, १६ एवं १७— एक पक्षीय।

# <u>:- नि र्ण य --::</u> (आज दिनांक 18.05.2018 को घोषित किया)

वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम रते का पुरा परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 655 रकवा 5.46 एवं सर्वे क0 669 रकवा 0.47 कुल रकवा 5.93 हेक्टेयर की स्वत्व घोषणा एवं आधिपत्य बापिसी हेतु प्रस्तुत किया गया है।

- संक्षेप में वाद पत्र इस प्रकार है कि ग्राम रते का पूरा वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद में वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 655 रकवा 5.46 विस्वा एवं सर्वे क0 669 रकवा 0.47 कुल रकवा 5.93 स्थित है जिसके वादी क0 1 लगायत 5 1/2 भाग तथा वादी क0 6 1/2 भाग के स्वत्व एवं आधिपत्य स्वामी है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जिस पर वादीगण पूर्वजों के समय से काबिज होकर खेती करते चले आ रहे हैं। वर्ष 2014 के सितम्बर माह में वादीगण ने अपने राजस्व अभिलेख एवं ऋण पुस्तिका पटवारी मीजा को दिखाया था तो उन्हें पटवारी ने बताया था कि उनके खाते की भूमि लगभग साढि उन्नतीस बीघा है तब वादीगण ने तहसीलदार महोदय बृत्त एण्डोरी के समक्ष सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया था। जो कि प्रकरण क0 68/13-14अ/12 पर पंजीबद्ध हुआ था एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया गया था। राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त सर्वे क्रमांकों का सीमांकन किया गया तो सर्वे क0 655 के दक्षिणी भाग में प्रतिवादी क0 1 लगायत 14 के अवैध अतिक्रमण होना बताया गया था तथा सर्वे क0 669 के सम्पूर्ण भाग पर प्रतिवादी क0 14 एवं 15 का अवैध अतिक्रमण होना बताया गया था तथा सीमांकन रिपोर्ट, सीमांकन प्रतिवेदन एवं फील्डबुक पंचनामा बनाया गया था जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार महोदय बृत्त एण्डोरी को पेश की गई जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रतिवादीगण को दिनांक 04.09.14 को प्राप्त हुई थी। तब वादीगण का अवैध अतिक्रमण की जानकारी हुई थी। प्रतिवादीगण ने सर्वे क0 655 के दक्षिणी भाग पर 1.00 हेक्टेयर रकवे पर अतिक्रमण कर लिया है। सीमांकन होने के बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने के लिए कहा था तो प्रतिवादीगण ने वादीगण की मारपीट कर दी थी जिसकी रिपोर्ट वादीगण के द्वारा दिनांक 24.09.2014 को पुलिस थाना एण्डोरी में की गई थी जिस पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। प्रतिवादीगण ने रिश्तेदारों के मध्य आगामी कृषि वर्ष अषाड माह में अपना कब्जा हटा लेने के लिए कहा था तब दोनों पक्षो के मध्य समझौता हो गया था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अषाड़ माह में कब्जा नही हटाया गया था तथा वादीगण को खेती करने से मना कर दिया था। प्रतिवादीगण वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये हुए है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण का निवेदन है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण से रिक्त आधिपत्य बापिस दिलाया जावे।
- 3. प्रतिवादी क0 1 लगायत 14 द्वारा वाद पत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वाद पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को सूचना दिये बगैर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से मिलकर असत्य कार्यवाही कराई है जो उन्हें स्वीकार नहीं है। सर्व क0 655 के दक्षिणी दिशा में नीचे की तरफ लगा हुआ एर्व क0 669 है जिसमें प्रतिवादी क0 4 का हिस्सा 1/2 है एवं प्रतिवादी प्रेमसिंह, चेतराम, चंद्रशेखर का हिस्सा 1/2 है। प्रतिवादीगण ने सर्व क0 659 रकवा 0.54 की विधिवत् पैमाईश वादीगण के सामने राजस्व निरीक्षक से कराई थी जिस पर प्रतिवादीगण काबिज होकर कास्त कर रहे हैं। प्रतिवादीगण के खेत में पूर्वजों के समय से खाई पड़ी हुई है जिस रकवे पर उनके पूर्वज खेती करते चले आ रहे हैं।

प्रतिवादीगण ने वादीगण के किसी भी रकवे पर अवैध अतिक्रमण नहीं किया है। सर्वे क्0 655 के दक्षिणी भाग पर रकवा 1.00 हेक्टयेर पर प्रतिवादीगण ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है उनका कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है और उनकी निरंतर निर्विघ्न कास्त हो रही है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ अतिक्रमित भूमि का नजरीनक्शा पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण से कब्जा छोड़ने की बात नहीं की थी। प्रतिवादीगण सर्वे क्0 659 रकवा 0.54 हेक्टेयर के स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं एवं उक्त रकवे पर प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के किसी भी रकवे पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि प्रतिवादीगण ने किस दिनांक को अवैध अतिक्रमण कर लिया है। वादीगण द्वारा कब्जा बापिसी हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि कब्जा बापिसी के तहत वाद सुनने का क्षेत्राधिकार धारा 257 भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत इस न्यायालय को नहीं है। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

- 4. प्रतिवादी क0 16 द्वारा उत्तर वाद पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वह सर्वे क0 669 के कब्जे को छोड़ने के लिए तैयार है। सर्वे क0 669 पर प्रतिवादी 16 का कब्जा करीब छः माह से था। उक्त कब्जे को प्रतिवादी ने सर्वे क0 669 के सम्पूर्ण भाग से हटा लिया है एवं उक्त भूमि से प्रतिवादी क0 16 का कोई सरोकार नहीं रहा है।
- 5. यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क0 15 एवं 17 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान प्रतिवादी क0 16 के उपस्थित न होने से प्रतिवादी क0 16 के विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।
- 6. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

वाद प्रश्न निष्कर्ष

- 1. क्या ग्राम रते का पुरा परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 655 रकवा 5.46 एवं सर्वे क0 669 रकवा 0.47 कुल रकवा5.93 हेक्टेयर कके वादी क0 1 लगायत 5 1/2 भाग के वादी एवं वादी क0 6 1/2 भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?
- 2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैध आधिपत्य कर लिया गया है ?
- 3. क्या वादीगण प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य वापस पाने के अधिकारी है ?
- क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है ?
- क्या प्रस्तुत वाद अवधि ब्राह्य है ?
- 6. सहायता एवं वाद व्यय ?

# निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण वाद प्रश्न कमांक-1

7. उक्त वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है। उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादीगण रामबाबू वा0सा0 2 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथ पत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि ग्राम

### <u>4</u> व्यवहार वाद कमांक:- 62ए/2015

रतेपुरा तहसील गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 655 रकवा 5.46 विस्वा एवं सर्वे क0 669 रकवा 0. 47 कुल रकवा 5.93 हेक्टेयर के वादी क0 1 लगायत 5 1/2 भाग एवं वादी क0 6 1/2 भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण ने वर्ष 2014 में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी मौजा से सीमांकन कराया था तथा सीमांकन में वादीगण को यह जानकारी हुई थी उक्त भूमि पर प्रेमसिंह आदि कब्जा किये हुए है तब वादीगण ने दिनांक 04.09.2014 को सीमांकन की नकल प्राप्त की थी एवं उसके सर्वे क0 655 के दक्षिणी भाग के एक हेक्टेयर भूमि अर्थात् पांच बीघा पर प्रतिवादी क0 1 लगायत 14 एवं सर्वे क0 669 के सम्पूर्ण भाग पर प्रतिवादी क0 15 एव 16 कब्जा किये हुए थे। वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटाने के लिए कहा था तो प्रतिवादीगण ने वादी के टैक्टर की तोड फोड कर दी थी एवं वादीगण को गालियां दी थी तथा कब्जा बापिस करने से मना कर दिया था उक्त घटना की रिपोर्ट वादी उदयसिंह ने दिनांक 24.09.2014 को पुलिस थाना एण्डोरी में की थी जिस पर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संचालित हुआ था। वादीगण ने वादीगण ने झगड़ा होने के उपरांत भी वादीगण से कब्जा प्राप्त करने के लिए पंचायत एकत्रित की थी एवं प्रतिवादीगण ने पंचायत में वर्ष 2015 में असाड़ माह में कब्जा हटाने के लिए कहा था परन्तु प्रतिवादीगण ने अषाड़ माह में कब्जा देने से इंकार कर दिया था। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2013-14 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0 6 प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्बन प्रति प्र0पी0 7, सीमांकन रिपोर्ट प्र0पी0 1, प्र0पी0 2 एवं प्र0पी0 3 तथा नक्शा प्र0पी0 8 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

- 8. प्रतिपरीक्षण के पद क0 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसकी जमीन के अतिक्रमण किये हुए भाग का सर्वे क0 655 एवं 669 है। सर्वे क0 655 पर अतिक्रमण करने वाले लोग अतरिसंह, मानिसंह, नरेश, भागीरथ, रामदास, प्रेमिसंह, जगमोहन, कमलेश, चेतराम, नारायण सिंह, पातीराम, किलयान, लक्ष्मण सिंह एवं बलवीर आदि है। वह नहीं बता सकता कि अकेले अतरिसंह कितने रकवे पर कब्जा किये हुए है एवं व्यक्त किया है कि सभी 12 लोग मिलकर पांच बीघे भूमि पर अतिक्रमण किये हुए है। उक्त सभी लोग पांच बीघे में अलग—अलग हिस्से अनुसार खेती जोत रहे हैं। वह नहीं बता सकता कि प्रतिवादीगण कितने समय से विवादित खेत को जोत रहे हैं एवं व्यक्त किया है कि उसने वर्ष 2014 में नाप कराई थी तब उसे अतिक्रमण की जानकारी हुई थी। पद क0 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि वर्ष 2014 में पंचायत हुई थी। सीमांकन के समय प्रतिवादीगण उपस्थित थे। आर0आई0 साहब ने सीमांकन प्रतिवेदन पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर कराये थे।
- 9. वादी साक्षी उदयसिंह वा०सा० 3 एवं गोपाल सिंह वा०सा० 4 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- 10. वादी साक्षी आशीष सेंगर वा०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि सर्वे क0 655, रकवा 5.46 के 1/2 भाग के भूमि स्वामी वादी रामबाबू, मेघिसंह, भारतिसंह, नंदिकशोर, नवलिकशोर है एवं 1/2 भाग के भूमि स्वामी उदयसिंह है। तथा सर्वे क0 669 रकवा 0.47 के 1/2 भाग के भूमि स्वामी वादी रामबाबू, मेघिसंह, भारतिसंह, नवलिकशोर एवं नंदिकशोर है एवं 1/2 भाग के भूमि स्वामी उदयसिंह है। वह दिनांक 23.08.2014 को राजस्व निरीक्षण विनोद सिंह तोमर के साथ सीमांकन करने गया था। सीमांकन रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक ने बनाई थी। फील्डबुक प्र0पी० 2 एवं पंचनामा प्र0पी० 3 है। प्रतिपरीक्षण के पद क0 2 में उक्त साक्षी का कहना है कि सीमांकन रिपोर्ट प्र0ीप० 1 एवं पंचनामा प्र0पी० 3 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है।

- 11. वादी साक्षी विनोद सिंह तोमर वा०सा० 5 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह दिनांक 23.08.2014 को तहसीलदार बृत्त एण्डोरी के आदेश से सर्वे क0 655 एवं 669 का सीमांकन करने पटवारी आशीष सेंगर के साथ गया था एवं उसने दिनांक 23.08.2014 को सीमांकन किया था जिसमें सर्वे क0 669 पर गरसिंह बघेल का अनाधिकृत कब्जा पाया गया था तथा सर्वे क0 655 पर प्रेमसिंह, रामनारायण, चेतराम, रामदास, जगमोहन, कमलेश, अतरसिंह, मानसिंह, रामनरेश, भागीरथ, पातीराम, लक्ष्मण, बलवीर, कल्याण, रामदासी का एक हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था जिसे नक्शे पर लाल स्याही से दर्शाया गया था। बेजा कब्जा हटाने के लिए थाना प्रभारी एण्डोरी के लिए उसने तहसीलदार महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसने स्थल पर फील्डबुक एवं पंचनामा तैयार किया था जो कि प्र0पी० 1 लगायत 3 है जिनके कमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क0 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि फील्डबुक एवं प्रतिवेदन उसके द्वारा तैयार किया गया है। उसके द्वारा सह कृषकों को कोई सूचना नहीं दी गई थी, पटवारी ने सूचना दी थी।
- 12. प्रतिवादी चंद्रशेखर उर्फ रामनारायण प्र0सा0 1 ने वादीगण के अभिवचनों का खण्डन करते हुए अभिवचनित किया गया है कि मौजा पड़राई का पुरा में स्थित भूमि सर्वे क0 659 रकवा 0.54 हेक्टयेर का वह और अन्य प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से अनुसार स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण की पूर्वजों के समय से निरंतर एवं निर्विध्व लेखी होती चली आ रही है। उनके द्वारा वादीगण की भूमि के किसी भी रकवे पर अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है। उनके द्वारा विधिवत् राजस्व निरीक्षक से पैमाईश करवाई गई है। उक्त पैमाईश वादीगण की उपस्थित में हुई थी। वादीगण के खेत की पैमाईश कभी नहीं हुई है न ही पैमाईश में प्रतिवादीगण को बुलाया गया है। उनके द्वारा वादीगण के किसी भी रकवे पर अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा असत्य वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी चंद्रशेखर प्र0सा0 1 द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में प्रतिवेदन दिनांक 14.10.2014 की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0डी0 1, पंचनामा प्र0डी0 2, थाना प्रभारी को दिये गये पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0डी0 3, फील्डबुक की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0डी0 4 एवं मानचित्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0डी0 5 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है।
- 13. प्रतिपरीक्षण के पद क0 6 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह सर्वे क0 655 एवं 669 का भूमि स्वामी नहीं है। पद क0 7 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सर्वे क0 659 के संबंध में कोई विवाद नहीं है एवं यह भी स्वीकार किया है कि सीमांकन रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि सर्वे क0 659 पर वादीगण का कब्जा है।
- 14. प्रतिवादी साक्षी मानसिंह प्र0सा0 2 ने भी प्रतिवादी चंद्रशार प्र0सा0 1 के अभिवचनों का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क0 5 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सर्वे क0 655 एवं 669 के भूमि स्वामी वादीगण है। पद क0 6 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह लोग सर्वे क0 655 एवं 669 के भूमि स्वामी नहीं है।
- 15. तर्क के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैध अतिकमध किया गया है जबिक तर्क के दौरान प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कोई अतिकमण नहीं किया गया है।

- 16. प्रस्तुत प्रकरण में वादी रामबाबू वा०सा० 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क० 655 रकवा 5.46 एवं सर्वे क० 669 रकवा 0.47 हेक्टेयर कुल रकवा 5.93 हेक्टेयर के 1/2 भाग के स्वामी वादी क० 1 लगायत 5 एवं 1/2 भाग के भूमि स्वामी वादी क० 6 है। प्रतिवादी क० 1 लगायत 14 द्वारा भूमि सर्वे क० 655 के दक्षिणी भाग के रकवा 1.00 हेक्टेयर अर्थात् पांच बीघा एवं प्रतिवादी क० 15 तथा 16 द्वारा सर्वे क० 669 के सम्पूर्ण रकवे पर अतिक्रमण कर लिया गया है। जिसकी जानकारी उन्हें सीमांकन कराने पर हुई थी। वादीगण द्वारा उक्त संबंध में सीमांकन रिपोर्ट प्र०पी० 1 नक्शा प्र०पी० 2 मौके का पंचनामा प्र०पी० 3 की सत्यापित प्रतिलिपियां प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सभी तथ्यों का खण्डन किया गया है तथा व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क० 1 लगायत 14 सर्वे क० 659 रकवा 0.54 हेक्टेयर के स्वामी है तथा अपने—अपने हिस्से अनुसार खेती कर रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा सर्वे क० 659 में कराये गये सीमांकन का प्रतिवेदन प्र०डी० 1 पंचनामा प्र०डी० 2, नक्शा प्र०डी० 4 एवं प्र०डी० 5 भी प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।
- 17. इस प्रकार वादीगण द्वारा यह अभिवचिनत किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 655 रकवा 5.46 एवं सर्वे क0 669 रकवा 0.47 के स्वत्य एवं आधिपत्यधारी है। वादीगण द्वारा उक्त संबंध में वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2013—14 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी0 6 भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। प्र0पी0 6 के खसरे के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्र0पी0 6 के खसरे में वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर वादी क0 1 लगायत 5 एवं 1/2 भाग पर वादी क0 6 का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित है। जहां तक उक्त बिन्दु पर आई मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो वादी रामबाबू वा0सा0 2 ने वादग्रस्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है। वादी साक्षी उदयसिंह वा0सा0 3 एवं गोपाल सिंह वा0सा0 4 ने भी वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की होना बताया है। वादी साक्षी पटवारी आशीष सेंगर वा0सा0 1 ने भी वादग्रस्त भूमि सर्व क0 655 रकवा 5.46 तथा सर्व क0 669 रकवा 0.47 के 1/2 भाग का भूमि स्वामी प्रतिवादी क0 1 लगायत 5 तथा 1/2 भाग का भूमि स्वामी प्रतिवादी क0 6 को होना बताया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी चंद्रशेखर प्र0सा0 1 ने भी यह स्वीकार किया है कि वह विवादित भूमि के भूमि स्वामी नहीं है। प्रतिवादी मानसिंह प्र0सा0 2 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पद क0 5 में यह स्वीकार किया है कि वह लोग विवादित भूमि के भूमि स्वामी वादीगण है तथा पद क0 6 में यह भी स्वीकार किया है कि वह लोग विवादित भूमि के भूमि स्वामी नहीं है।
- 18. इस प्रकार वादीगण ने वादग्रस्त भूमि उनके स्वत्व की होना बताया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के स्वत्व को स्वीकार किया गया है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उनका स्वत्व होने के संबंध में प्र0पी0 6 का खसरा भी प्रस्तुत किया गया है तथा प्र0पी0 6 के खसरे में भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित है। प्रतिवादीगण द्वारा प्र0पी0 6 के खसरे का कोई खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में म0प्र0 भू—राजस्व संहिता की धारा 117 के अंतर्गत उक्त खसरे के सही होने की उपधारणा की जायेगी। फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग के भूमि स्वामी वादी क0 1 लगायत 5 तथा 1/2 भाग के भूमि स्वामी वादी क0 6 है।
- 19. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह प्रमाणित है कि ग्राम रते का पुरा परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 655 रकवा 5.46 एवं सर्वे क0 669 रकवा 0.47 कुल रकवा 5.93 हेक्टेयर के वादी क0 1 लगायत 5 1/2 भाग एवं वादी क0 6 1/2 भाग के स्वत्वधारी हैं। फलतः उक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

## वाद प्रश्न कमांक-2 एवं 3

- 20 साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 21. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादी क0 1 लगायत 14 द्वारा वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 655 के दक्षिणी भाग के रकवा एक हेक्टेयर एवं प्रतिवादी क0 15 एवं 16 द्वारा सर्वे क0 669 के सम्पूर्ण भाग पर कब्जा कर लिया गया है जबिक प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्यों का खण्डन किया गया है एवं प्रतिवादी चंद्रशेखर प्र0सा0 1 एवं मानसिंह प्र0सा0 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह सर्वे क0 659 रकवा 0.54 हेक्टेयर के स्वत्वधारी है एवं उक्त भूमि पर अपने—अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं।
- इस प्रकार वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 655 के रकवा 1.00 हेक्टेयर एवं सर्वे क0 669 के सम्पूर्ण रकवा पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। वादी द्वारा उक्त संबंध में सीमांकन रिपोर्ट प्र0पी0 1 लगायत 3 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। प्र0पी0 1 की सीमांकन रिपोर्ट में सर्वे क0 669 पर गरसिंह बघेल एवं सर्वे क0 655 के रकवा 1.00 हेक्टेयर पर प्रतिवादी कृ० 1 लगायत 14 द्वारा अवैध कब्जा किये जाने का उल्लेख है। प्र0पी० 3 के पंचनामें में भी सर्वे क0 655 एवं 669 पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा होने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त वादी साक्षी अशीष सेंगर वा०सा० 1 ने भी अपने कथन में दिनांक 23.08.2014 को वादग्रस्त भूमि का सीमांकन करना बताया है। यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान सीमांकन रिपोर्ट प्र0पी0 1 एवं पंचनामा प्र0पी0 3 पर उसके हस्ताक्षर न होना व्यक्त किया गया है परन्तु आशीष सेंगर वा0सा0 ने दिनांक 23.08.2014 को वादग्रस्त भूमि का सीमांकन करना बताया है। राजस्व निरीक्षण विनोद सिंह तोमर वा0सा0 5 ने भी दिनांक 23.08.2014 को वादग्रस्त भूमि का सीमांकन करना एवं सीमांकन में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करना बताया है। जहां तक उक्त संबंध में प्रतिवादीगण की आपत्ति का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी चंद्रशेखर प्र0सा0 1 एवं मानसिंह प्र0सा0 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह भूमि सर्वे क0 659 के भूमि स्वामी है एवं उनके द्वारा सर्वे क0 659 का सीमांकन कराया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा जो सीमांकन प्रतिवेदन प्र0डी0 1 लगायत प्र0डी0 5 प्रकरण में प्रस्तुत किये गये है उनके यह दर्शित है कि उक्त दस्तावेज भूमि सर्वे क0 659 के सीमांकन से संबंधित है एवं भूमि सर्वे क0 659 प्रकरण में विवादित नहीं है। प्रतिवादी चंद्रशेखर प्र0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि वादीगण उसकी भूमि पर कब्जा किये हुए थे परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जो सर्वे क0 659 के सीमांकन के दस्तावेज प्र0डी0 1 लगायत प्र0डी0 4 प्रकरण में प्रस्तुत किये गये है उनसे यह दर्शित नहीं होता है कि वादीगण द्वारा भूमि सर्वे क0 659 पर अतिक्रमण किया गया था। प्र0डी० 1 की सीमांकन रिपोर्ट एवं प्र0डी० 1 के पंचनामे में वादीगण द्वारा भूमि सर्वे क्र0 659 पर अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादीगण द्वारा उनकी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, सत्य नही है एवं वादीगण द्वारा जो सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये है उनसे यह प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 655 के रकवा 1.00 हेक्टेयर पर एवं सर्वे क0 669 पर अवैध आधिपत्य किया गया है। 🔨
- 23. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह भी प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैध आधिपत्य कर लिया गया है अतः वादीगण प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य बापिस पाने के अधिकारी हैं। फलतः उक्त दोनों वाद प्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

#### वाद प्रश्न कमांक- 4

- 24. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचिनत किया गया है कि वादीगण ने अतिक्रमण वाले रकवे का बाजारू मूल्य कायम कर उस पर मूल्यानुसार कोर्ट फीस अदा नहीं की है। वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है अतः वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से नहीं किया गया तथा कम कोर्ट फीस अदा की गई है जबिक वादीगण द्वारा यह अभिवचिनत किया गया है कि उनके द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।
- 25. वादीगण द्वारा यह वाद स्वत्व घोषणा एवं कब्जा बापिसी हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है एवं वादीगण द्वारा कृषि भूमि के भू—राजस्व के बीस गुने के आधार पर तीन सौ रूपए कब्जा बापिसी हेतु एवं पांच सौ रूपए स्वत्व घोषणा हेतु वाद का मूल्यांकन किया गया है तथा स्वत्व घोषणा हेतु पांच सौ रूपए तथा कब्जा बापिसी हेतु तीन सौ रूपए के बारह प्रतिशत के हिसाब से छत्तीस रूपए न्यायशुल्क अदा किया गया है।
- 26. यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 7 के खण्ड पांच के अनुसार— "भूमि ग्रहो एवं उद्यान के कब्जों के वादों में विषय वस्तु के मूल्य के अनुसार और यह समझा जावेगा कि ऐसा मूल्य जहां विषय वस्तु भूमि है और ऐसी भूमि पर भू—राजस्व निर्धारित है या ऐसी भूमि के संबंध में भू—राजस्व संदेह है, ऐसे निर्धारित या ऐसे भू—राजस्व का बीस गुना है।" इस प्रकार उक्त प्रावधान के अनुसार कब्जे के वादों में यदि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है तो वाद का मूल्यांकन कब्जाकृत कृषि भूमि के भू—राजस्व के बीस गुने के आधार पर किया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है एवं वादीगण द्वारा उपरोक्त प्रावधान के अनुसार ही वादग्रस्त कृषि भूमि के भू—राजस्व के बीस गुने के आधार पर ही स्वत्व घोषणा एवं कब्जा बापिसी हेतु वाद का मूल्यांकन किया गया एवं तदानुसार न्यायशुल्क अदा किया गया है इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। फलतः उक्त वाद प्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

## वाद प्रश्न कमांक-5

- 27. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण को यह जानकारी नहीं है कि प्रतिवादीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर कब से चला आ रहा है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह वर्णित नहीं यिका गया है कि प्रतिवादीगण ने किस दिनांक को अवैध अतिक्रमण किया था अतः प्रस्तुत वाद अविध ब्राह्य है।
- 28. प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं कब्जा बापिसी हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह अभिवचिनत किया गया है कि उन्हें वादीगण के कब्जे की जानकारी वर्ष 1914 में हुई थी तथा दिनांक 24. 09.2014 को जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटाने के लिए कहा था तो प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने के लिए मना कर दिया था तथा वादीगण को गालियां दी थी एवं उनके टैक्टर की तोड़ फोड़ कर दी थी। इस प्रकार वादीगण ने अपने वाद पत्र में वाद कारण दिनांक 24.09. 2014 को उत्पन्न होना बताया है एवं वादीगण द्वारा यह वाद दिनांक 15.06.2015 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा यह वाद स्वत्व घोषणा एवं कब्जा बापिसी हेतु प्रस्तुत किया है तथा वादीगण

ने वाद कारण दिनांक 24.09.2014 को उत्पन्न होना बताया है तथा वादीगण द्वारा यह वाद दिनांक 15.06. 2015 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार वादीगण द्वारा विहित समयाविध में यह वाद प्रस्तुत किया गया है। फलतः प्रस्तुत वाद अविध बृाह्य नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त वाद प्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

## सहायता एवं व्यय 🔷

- 29. समग्र अवलोकन से वादीगण यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि ग्राम रते का पुरा गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 655 रकवा 5.46 एवं सर्वे क0 669 रकवा 0.47 कुल रकवा 5.93 हेक्टयेर के वादी क0 1 लगायत 5 1/2 भाग एवं वादी क0 6 1/2 के स्वत्वधारी हैं तथा यह भी प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि प्रतिवादी द्वारा सर्वे क0 669 रकवा 0.47 एवं सर्वे क0 655 रकवा 1.00 हेक्टेयर पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। फलतः प्रस्तुत वाद निम्नानुसार जयपत्रित किया जाता है:—
  - 1. यह घोषित किया जाता है कि ग्राम रते का पुरा परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 655 रकवा 5.46 एवं सर्वे क0 669 रकवा 0.47 कुल रकवा 5.93 हेक्टेयर के बादी क0 1 लगायत 5 1/2 भाग के एवं वादी क0 6 1/2 भाग के स्वत्वधारी हैं।
  - 2. प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 669 रकवा 0.47 हेक्टेयर एवं सर्वे क0 655 रकवा 1.00 हेक्टेयर का रिक्त आधिपत्य वादीगण को प्रदान करें।
- 30. प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जावेगा
- 31. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा। तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान — गोहद दिनांक — 18/5/18

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 वाद कमांक:- 62\

SILAN SUNTA